राजस्थान–सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प.3(28)वन/2023 जयपुर, दिनांक 07.10.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उदयपुर जिले की गिर्वा एवं बड़गांव तहसील में स्थित आरक्षित वनखण्ड कलेर जिसके वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल 888.00 हैक्टयर वन भूमि है जिसे मेवाड़ गर्वमेन्ट के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32757–35013 दिंनाक 12.12.1942 द्वारा रिजर्व वनखण्ड़ घोषित हुआ है, के वनखण्ड का आंशिक भाग 119.4350 हैक्टेयर एवं इस वनखण्ड़ के पूर्वी किनारे पर स्थित बड़ी झील जिसका विवरण अनुसूची–I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय व प्राणीजातीय, वनस्पतीय, भू–संरचना, संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा **महासीर संरक्षण आरक्षिति बड़ी झील** घोषित करती है जिसे भविष्य में **महासीर संरक्षण आरक्षिति बड़ी झील** के नाम से जाना जावेगा।

अधिसूचना–I

क्र. सं.	**ग्राम**	**तहसील**	**राजस्व भूमि**	**वन भूमि विवरण**			**कुल भूमि**
				नाम वन खण्ड	**क्षेत्रफल**	**वैधानिक स्थिति**	
1.	गोरेला	गिर्वा	0	कलेर (आंशिक भाग)	119.4350 हैक्टेयर	आरक्षित वन	206.0350 हैक्टेयर
	मोरवानिया	बड़गांव	0				
	नाथावतों का गुढा	बड़गांव	86.6000				
		योग	**86.6000 हैक्टेयर**		**119.4350 हैक्टेयर**		**206.0350 हैक्टेयर**

अनुसूची–II

:

दिशा	**सीमा विवरण**
उत्तरी सीमा	मोरवानिया नदी जहां बड़ी झील में गिरती है वहां से प्रारंभ होते हुए बांध की भूमि की उत्तरी सीमा पर चलते हुए मदार रोड़ तक, मदार रोड़ के सहारे–सहारे इसके समानतर से बडी झील की पाल तक
पूर्वी सीमा	बडी झील की पाल से गौरेला रोड़ के समान्तर जलाशय सीमा पर चलते हुए वन खण्ड़ कलेर की सीमा को छूकर, वनखण्ड़ की सीमा पर चलते हुए (गौरेला की तरफ) उब्बेश्वर की तरफ जाने वाले सड़क तिराहे तक
दक्षिणी सीमा	उब्बेश्वर की तरफ जाने वाले सड़क तिराहे से मोरवानिया ग्राम की ओर जाने वाली सड़क के साथ–साथ आगे घाटीया खेत ग्राम के तिराहे तक
पश्चिमी सीमा	घाटीया खेत ग्राम के तिराहे से कलेर वनखण्ड़ की पक्की दीवार के साथ–साथ बाहुबली हिल्स के निचले झील वाले हिस्से तक

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen (मोनाली सेन),
Designation : Deputy Conservator [illegible], वन
Of Forest
Date: 2023.10.07 21:09:45 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
8. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
9. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
11. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर।
12. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,उदयपुर।
13. संभागीय मुख्य वन संरक्षक,उदयपुर ।
14. जिला कलक्टर, उदयपुर।
15. उप वन संरक्षक, उदयपुर ।
16. संसदीय कार्य विभाग।
17. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.07 21:09:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868911